

प्रेस- नोट थाना सिकरीगंज गोरखपुर दिनांक 08.08.2022

खाने में जहर देकर महिला की हत्या करने के आरोप में वांछित अभियुक्तगण गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के कुशल निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दक्षिणी के मार्गदर्शन में व क्षेत्राधिकारी खजनी के पर्यवेक्षण में अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाने व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के तहत आज दिनांक 08.08.2022 को मुखबीर खास की सूचना पर थानाध्यक्ष सिकरीगंज दीपक कुमार सिंह मय हमराह उ0नि0 आशीष कुमार सिंह, का0 हिमांशु सिंह, का0 अरविन्द चौधरी व का0 राजेश यादव द्वारा मु0अ0सं0 141/2021 धारा 302,201 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण 01. जयकरन पुत्र रामभुवाल बेलदार निवासी अलावलपुर थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर 02. रामभुआल पुत्र चतुरी निवासी अलावलपुर थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर को भूमिधर तिराहा से समय 00.35 बजे रात्रि में गिरफ्तार कर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभि0गणों द्वारा मृतका सावित्री के खाने में जहर मिलाकर खिला देना जिससे सावित्री की मृत्यु हो जाना, तथा उसके घरवालों को बिना बताये मृतका के शव को जला देना।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता –

01. जयकरन पुत्र रामभुवाल बेलदार निवासी अलावलपुर थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर
02. रामभुआल पुत्र चतुरी निवासी अलावलपुर थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी का स्थान व समय –

भूमिधर तिराहा, दिनांक 08.08.2022 समय 00.35 बजे रात्रि

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 141/2021 धारा 302,201 भादवि थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर।

गिरफ्तारी में शामिल पुलिस टीम का विवरण-

- 01-SO श्री दीपक कुमार सिंह- थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर
- 02-उ0नि0 श्री आशीष कुमार सिंह- थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर
- 03-का0 हिमांशु सिंह - थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर
- 04-का0 अरविन्द चौधरी – थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर
- 05-का0 राजेश यादव – थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर